राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण सं0– अपील/डिक्री/टी.ए./4077/2004/भीलवाडा

देई चन्द मुतबन्ना खुमा गाडरी निवासी खाखीयों का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

.....**अपीलार्थी/वादी**

बनाम

1. कजोड पुत्र बगतावर गाडरी **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   1/1. एजी बेवा कजोड
   1/2. पानी पुत्री कजोड
   –समस्त निवासीगण ग्राम रायतला तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा
2. नाथु पुत्र मांगु गाडरी निवासी खाखीयों का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. मु. डाली पुत्री मांगु गाडरी पत्नि रंगलाल गाडरी निवासी जोरावरपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

.....**प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण**

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हगामी लाल चौधरी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायममुकाम के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– .....

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष रेस्पोडेन्ट खुमा/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 92–क बाबत ग्राम लेसवा तहसील माण्डल स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 2566 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 2574 रकबा 13 बिस्वा व 2597 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मांगु के देहान्त हो जाने के कारण वादी ने दिनांक 07–04–1997 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30–03–2002 द्वारा निर्धारित समयावधि में पेश नहीं किए जाने को अवधारित करते हुए प्रार्थना पत्र व वादी के मूल वाद को अबेट घोषित करते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–2004 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपनी बहस में कहा कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 हेतु कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत युक्तियुकत एवं समुचित कारण दिए थे, जिसका

विवेचन अपने निर्णय में नहीं करते हुए विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। यहीं नहीं उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में अपीलीय न्यायालय ने देरी बाबत पेश किए गए कारणों का विवेचन किए बगैर केवल मात्र तकनीकी आधार पर वाद एवं अपील को खारिज कर अपीलार्थी को न्याय से वंचित किया है। उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वाद को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं कर देरी को माफ करते हुए वारिसान को अभिलेख पर लेकर वाद में निहित कानूनी सारभूत बिन्दुओं को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील में सारवान तत्व मौजूद होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-08-2004 तथा सहायक जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-2002 को निरस्त करते हुए वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कायममुकाम को स्वीकार कर उनके द्वारा पेश मूल वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने बाबत सहायक जिला कलक्टर भीलवाडा को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपीलार्थी द्वारा पेश हस्तगत द्वितीय अपील का विरोध किया तथा मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व मण्डल के समक्ष पेश निगरानी के विचारण के दौरान ही खुमा का देहान्त हो गया था, इस कारण इस बाबत जानकारी मण्डल के समक्ष ही पेश की जानी चाहिए थी। यहीं नहीं वादी खुमा का गोदपुत्र नहीं है तथा उसे खुमा के देहान्त की

जानकारी नहीं होना मानने योग्य नहीं है। उनका आगे कहना है कि मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने हेतु नियमों में समयावधि 90 दिन प्रावधित है। आवेदक ने वादी के देहान्त के बाद लगभग 6 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर कायममुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि अत्यन्त रूप से मियाद से बाधित है। उनका तर्क है कि मृतक के विधिक वारिसान को निर्धारित समयावधि में रेकार्ड पर नहीं लिए जाने की कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण वादी का वाद स्वतः ही अबेट माना जायेगा। उनका आगे तर्क है कि वादी ने कायममुकाम प्रार्थना पत्र में देरी को माफ करने बाबत समुचित व ठोस कारण अंकित नहीं किए है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष रेस्पोडेन्ट खुमा/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 92–क बाबत ग्राम लेसवा तहसील माण्डल स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 2566 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 2574 रकबा 13 बिस्वा व 2597 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मांगु के देहान्त हो जाने के कारण वादी ने दिनांक 07–04–1997 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के

संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30-03-2002 द्वारा कायममुकाम प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में पेश नहीं किए के कारण प्रार्थना पत्र व मूल वाद को अबेट घोषित करते हुए खारिज किया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-08-2004 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा।

8. रेकार्ड से पाया जाता है कि वादी खुमा व प्रतिवादी संख्या 2 मांगू के देहान्त हो जाने के कारण वादी ने आलोच्य प्रार्थना पत्र लगभग 6 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष पेश किया है। स्थिति यह है कि वादी का देहान्त वर्ष 1991 में हो जाने के बाद कायममुकाम की कार्यवाही हेतु वर्ष 1997 को आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें 6 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है। 2007 डी.एन.जे. (एस.सी) पेज 367 उन्वानी डा0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट आफ केरला व अन्य में माननीय न्यायालय ने निम्नांकित व्याख्या की हैः-

Limitation Act, 1963- Section 5- Arbitration Act 1940- Section 30- Petition for setting aside award- Delay of 3320 days condoned- no satisfactory reasons for condoning in ordinate delay given- Delay can not be condoned merely on sympathy.

इस न्यायिक दृष्टान्त के पैरा 5 में यह उल्लेख किया गया कि "It is well considered principle of law that delay can not be condoned without assigning reasonable, satisfactory, sufficient and proper reasons."

9. उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में हमारे द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों का विश्लेषण किया है। वादी द्वारा उल्लेखित कारण सद्भावी व विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। इसके विपरीत यह पाया जाता है कि वादी के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही तस्दीक कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किए जाने के कारण

यह स्पष्टतया जाहिर होता है कि न्यायालय की कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी आवेदक को थी। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत दिए गए निष्कर्ष से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

10. द्वितीय प्रतिवादी मांगू के देहान्त हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी भी मृत्यु की तिथि से लगभग 7 वर्ष की अत्यन्त देरी से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कारित विलम्ब को क्षमा करने हेतु संलग्नक मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र उल्लेखित कारण किसी भी दृष्टि से मानने योग्य नहीं है। यद्यपि रेस्पोडेन्ट का देहान्त होने की स्थिति में न्यायालय को सूचित करने का दायित्व रेस्पोडेन्ट का था। किन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। फलस्वरूप प्रतिवादी मांगू के देहान्त के कारण वाद को अबेट निर्धारित करने का विचारण न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि एक ही प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दोनों एक साथ पेश किए जाने की स्थिति में एक प्रार्थना पत्र की रोशनी में वाद अबेट होने की स्थिति में अन्य दूसरे प्रार्थना पत्र बाबत आदेश पारित करना या खारिज करने की दशा में मूल प्रकरण की कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं होना पाया जाता है। वादी का मूल वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत खारिज होने के कारण विधायिका की भावना के अनुसार मूल वाद इसी आधार पर अबेट निर्धारित हो जाता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्ष विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत होते है। अतः इस द्वितीय अपील में विधि का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। यहीं नहीं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को अन्यथा सिद्ध करने हेतु अपीलार्थीगण ने किन्हीं नवीन तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में असंगत आधारों को

अभिवचित करने के कारण उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण इसे अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-08-2004 एवं सहायक जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य